इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 11.09.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले 01अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.12.2018 के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 551/2018 पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्री संजय कुमार त्यागी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्त बाबा नरसिंह दास त्यागी** के विरूद्ध आरोप पत्र **धारा 302 भादवि** में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम,पैरोकार का0 अमित कुमार एवं मानीटरिंग सैल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री तरूण शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 11.09.2023 को माननीय न्यायालय FTC I इटावा श्री दिलीप कुमार सचान द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **बाबा नरसिंह दास त्यागी पुत्र श्री दामोदर दास त्यागी निवासी जंगल आश्रम डंडूपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**